

TO BE PUBLISHED IN PART-I OF THE OFFICIAL GAZETTE

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
NOTIFICATION

New Delhi, the October, 2018

No. 78 /2018

[INCOME-TAX]

S.O. (E).- (1) In exercise of the powers conferred by section 285BA of the Income-tax Act, 1961 read with sub-clause (ii) of clause (D) of the *Explanation* to clause (6) of rule 114F of the Income-tax Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes, hereby specifies the following jurisdictions for the purposes of the said sub-clause, namely:-

SL. NO.	NAME OF JURISDICTION
1	ANDORRA
2	ANGUILLA
3	ARGENTINA
4	ARUBA
5	AUSTRALIA
6	AUSTRIA
7	AZERBAIJAN
8	BAHAMAS
9	BAHRAIN
10	BARBADOS
11	BELGIUM
12	BELIZE
13	BERMUDA
14	BRAZIL
15	BRITISH VIRGIN ISLANDS
16	BULGARIA
17	CANADA
18	CAYMAN ISLANDS
19	CHILE
20	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
21	COLOMBIA
22	COOK ISLANDS
23	COSTA RICA
24	CROATIA
25	CURAÇAO
26	CYPRUS
27	CZECH REPUBLIC
28	DENMARK
29	ESTONIA
30	FAROE ISLANDS
31	FINLAND

32	FRANCE
33	GERMANY
34	GIBRALTAR
35	GREECE
36	GREENLAND
37	GRENADA
38	GUERNSEY
39	HUNGARY
40	ICELAND
41	INDONESIA
42	IRELAND
43	ISLE OF MAN
44	ITALY
45	JAPAN
46	JERSEY
47	KOREA
48	KUWAIT
49	LATVIA
50	LEBANON
51	LIECHTENSTEIN
52	LITHUANIA
53	LUXEMBOURG
54	MALAYSIA
55	MALTA
56	MAURITIUS
57	MEXICO
58	MONACO
59	MONTSERRAT
60	NAURU
61	NETHERLANDS
62	NEW ZEALAND
63	NORWAY
64	PAKISTAN
65	PANAMA
66	POLAND
67	PORTUGAL
68	ROMANIA
69	RUSSIAN FEDERATION
70	SAINT KITTS AND NEVIS
71	SAINT LUCIA
72	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
73	SAMOA
74	SAN MARINO
75	SAUDI ARABIA
76	SEYCHELLES
77	SINGAPORE

78	SLOVAK REPUBLIC	
79	SLOVENIA	
80	SOUTH AFRICA	
81	SPAIN	
82	SWEDEN	
83	SWITZERLAND	
84	TURKS AND CAICOS ISLANDS	
85	UNITED ARAB EMIRATES	
86	UNITED KINGDOM	
87	URUGUAY	

Shibanka Das Biswas)
Under Secretary to the Government of India

Notification No. 78/2018/F.No. 500/05/2018-FT&TR-III

सरकारी राजपत्र के भाग-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
अधिसूचना
नई दिल्ली, अक्तूबर, 2018

संख्या 1/2018

[आयकर] - 78

का.आ. (अ).- (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, जिसे आयकर नियम, 1962 के नियम 114च के खंड (6) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के उपखंड (ii) के साथ पढ़ा जाता है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके द्वारा कथित उप-खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकार क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करता है, नामशः -

क्रम संख्या	क्षेत्राधिकार का नाम
1	अंडोरा
2	अंगुइला
3	अर्जेंटीना
4	अरूबा
5	ऑस्ट्रेलिया
6	ऑस्ट्रिया
7	अज़रबैजान
8	बहामास
9	बहरीन
10	बारबाडोस
11	बेल्जियम
12	बेलीज़
13	बरमूडा
14	ब्राज़ील
15	ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स
16	बुल्गारिया
17	कनाडा
18	कैमैन आइलैंड्स
19	चिली
20	चीनी जनवादी गणराज्य
21	कोलंबिया
22	कुक आइलैंड्स
23	कोस्टा रीका
24	क्रोएशिया
25	कुराकाओ
26	साइप्रस
27	चेक गणराज्य
28	डेनमार्क
29	एस्टोनिया
30	फ़रो आइलैंड्स

31	फिनलैंड
32	फ्रांस
33	जर्मनी
34	जिब्राल्टर
35	ग्रीस
36	ग्रीनलैंड
37	ग्रेनेडा
38	गुअर्नसे
39	हंगरी
40	आइसलैंड
41	इंडोनेशिया
42	आयरलैंड
43	आइल ऑफ मैन
44	इटली
45	जापान
46	जर्सी
47	कोरिया
48	कुवैत
49	लातविया
50	लेबनान
51	लिचटेंस्टाइन
52	लिथुआनिया
53	लक्जमबर्ग
54	मलेशिया
55	माल्टा
56	मॉरीशस
57	मेक्सिको
58	मोनाको
59	मोंटसेराट
60	नारू
61	नीदरलैंड
62	न्यूजीलैंड
63	नॉर्वे
64	पाकिस्तान
65	पनामा
66	पोलैंड
67	पुर्तगाल
68	रोमानिया
69	रूसी फेडरेशन
70	सेंट किट्स और नेविस
71	सेंट लूसिया
72	सेंट विन्सेंट और ग्रेनाडाइन्स
73	समोआ
74	सेन मैरिनो
75	सऊदी अरब
76	सेशल्स

77	सिंगापुर
78	स्लोवाक गणराज्य
79	स्लोवेनिया
80	दक्षिण अफ्रीका
81	स्पेन
82	स्वीडन
83	स्विट्ज़रलैंड
84	तुर्की और कैकोज़ आइलैंड्स
85	संयुक्त अरब अमीरात
86	यूनाइटेड किंगडम
87	उरुग्वे

(शिवंका दास विश्वास)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं. 78 /2018/फा.सं. 500/05/2018-एफटी एंड टीआर-III (I)